भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4035

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

विनियम-निर्माण प्रक्रिया हेतु प्रारूप मानदंड

4035. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीसी) ने विनियम-निर्माण प्रक्रिया हेतु प्रारूप मानदंडों को अंतिम रूप प्रदान किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त मानदंडों को अंतिम रूप प्रदान किए जाने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया गया है;
(घ) विनियम कब तक अधिसूचित कर दिए जाएंगे; और
(ङ) क्या विलंब से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा गृहीत मामलों के समाधान की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ): जी हां। प्ररूप भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (विनियमों के जारी करने की प्रणाली) विनियमन, 2018 को पब्लिक डोमेन में दिनांक 07.03.2018 को टिप्पणियों के लिए रखा गया था और वे आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्हें भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के शासी बोर्ड के अनुमोदन के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इसके आगे कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और समापन से संबंधी प्रावधान, जैसा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) में दिए गए हैं, को संगत नियमों और विनियमनों के साथ अधिसूचित किया गया है।

(ङ): एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत मामलों में समाधान की प्रक्रिया मुख्यतः भारतीय दिवाला और धन शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला कारपोरेट व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के द्वारा शासित होती है। उपरोक्त विनियमनों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इसके आगे, विनियामक द्वारा विनियमनों को बनाना आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार एक सतत् प्रक्रिया है।

*****